न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारेठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 110/2010

1. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख उम्र 61 वर्ष निवासी 3 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. रिछबेग सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी 3 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

--वादीगण--

बनाम

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख सेवानिवृत प्राचार्य निवासी फाजिल्का तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।
3. इकबाल सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख निवासी 1एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।
4. जसवन्त कौर पुत्री तीर्थ सिंह पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर।

--प्रतिवादी--

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,91,92ए, 188 आर टी ए

--निर्णय-- दिनांक : 9.10.17

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3ओ की जमाबंदी संवत 2063 ता 2066 के खाता सं0 23/23 में वादी के पिता तीर्थ सिंह के नाम 6.323 है0 नहरी भूमि व प्रतिवादी सं0. 1 के नाम 6.323 है0 नहरी भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तीर्थ सिंह वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 1 का पिता व वादी सं0 2 का दादा था जिसकी सेवा संभाल वादीगण करते थे। प्रतिवादी सं0 1 गांव 3ओ में नही रहा। कभी कभी ही आता था। और पंजाब के शहर फाजिल्का में नौकरी कर निवास करता है। तीर्थ सिंह के द्वारा वादीगण की सेवा से खुश होकर अपनी मृत्यु से पूर्व चक 3ओ की जमाबंदी खाता सं0 23/23 में दर्ज कुल 12.646 है0 नहरी मय बाग मय गैरमुमकिन खाला में दर्ज अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि मु0 नं0 30 के 6.197 है0 नहरी व बाग व मु0 नं0 62/12 का 0.126 है0 गैरमुमकिन खाला 6.323 है0 नहरी भूमि की वसीयत दिनांक 31.07.09 को रूबरू गवाहान वसीकानवीस से पूर्ण होशो हवास व स्वतंत्र चित से वादीगण के हक में बहिस्सा बराबर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर रूबरू गवाहान करके व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादीगण को सौंप दी। तीर्थ सिंह की दिनांक 01.10.11 को मृत्यु हो चुकी है। इस कारण वादीगण इस वसीयत दिनांक 31.07.09 में वर्णित भूमि के खातेदार मालिक हो चुके है। और वसीयत अनुसार आयी भूमि को अपने नाम घोषित करवाकर बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है व दावा ला पाने के अधिकारी है। इस खाता सं0 23/23 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 6.323 है0 भूमि दर्ज है। यह भूमि तीर्थ सिंह के नाम खातेदारी दर्ज थी। इस खाता की भूमि में मु0 नं0 29 के 20 बीघा, किला नं0 6 ता 25 को दिनांक 06.05.72 को जरिये तमलीकनामा बलविन्द्र सिंह के हक में स्थानान्तिरत कर दी व मु0 नं0 29 के शेष 5 बीघा भूमि का तमलीकनामा भी बाद में बलविन्द्र सिंह के हक में कर दिया। यह तमलीक सिर्फ गुजारा के लिये थी। यह भूमि तीर्थ सिंह की नही थी। बल्कि बलविन्द्र सिंह के दादा हरि सिंह की थी जो हरि सिंह की मृत्यु के बाद तीर्थ सिंह के नाम दर्ज हुई। तीर्थ सिंह इस भूमि को हस्तान्तरित नही कर सकता था। क्योंकि यह भूमि पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है। इस भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा बनता है। वादीगण इस भूमि में अपने हिस्से अनुसार अपने नाम घोषित करवाकर बंटवारा करवाने के कानूनी अधिकारी है। तमलीकनामा दिनांक 06.05.72 का असर वादीगण के हक पर नही है। यह दस्तावेज शुरू से शून्य है। वादी सं0 1 का इस तमलीकशुदा भूमि पर कभी कब्जा नही रहा और न ही आज कब्जा है। मु0 नं0 29 व 30 की 50 बीघा भूमि पर वादीगण का शुरू से कब्जा चला आ रहा है। पानी की पर्चिया व मांग पत्र वादीगण को प्राप्त होते रहे है। तीर्थ सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 के मन में बेईमानी आ गयी है। वह इस चक 3ओ के खाता सं0 23/23 की भूमि को जबरदस्ती कब्जा करके बेचने की फिराक में है। तमलीक से जो भूमि उसे प्राप्त हुई, वह गुजारा के लिये थी। इसकी खातेदारी उसके पास नही हो सकती थी। वादीगण इस भूमि से अपना हिस्से अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

सुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम बलविन्द्र सिंह आदि प्रकरण सं0 110/2010
दावा अन्तर्गत धारा 53,88,91,92,188 आरटीए

रिछबेग सिंह व सुरेन्द्रपाल सिंह व प्रतिवादी सं0 1 बलविन्द्र सिंह के द्वारा राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा अनुसार वादपत्र डिगरी बाबत निवेदन किया। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली के साथ संलग्न किया गया। दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादपत्र डिगरी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादपत्र डिगरी किये जाने पर सहमत है। वादपत्र राजीनामा के अनुसार डिगरी किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादपत्र निम्न प्रकार से डिगरी किये जाने के आदेश दिए जाते है।

1. **सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख, रिछबेग सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासीगण 3ओ तहसील श्रीकरणपुर का बहिस्सा बराबर हिस्सा :-**

   चक 3ओ की जमाबंदी संवत 2063 ता 66 के खाता सं0 23/23 के मु0 नं0 30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.197 है0 व मु0 नं0 62/12 के 0.126 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 6.323 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला

2. **बलविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3ओ हाल फाजिल्का पंजाब का हिस्सा:-**

   चक 3ओ की जमाबंदी संवत 2063 ता 66 के खाता सं0 23/23 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.323 है0 नहरी भूमि।

3. पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मु0 नं0 29 में आने जाने के लिए मु0 नं0 30 के किला नं0 1,10,9,8,3,4,5 मे से 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। यह रास्ता मु0 नं0 29 के किला नं0 1 तक जायेगा।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मुकेश बारेठ आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर))

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")
ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

सुरेन्द्रपाल सिंह आदि बनाम बलविन्द्र सिंह आदि
दावा 53,88,91,92ए, 188 आर.टी.ए मुकदमा नं0 110/2010

निर्णय दिनांक :- 9.10.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री वाई.एस.सैनी** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादपत्र निम्न प्रकार से डिगरी किये जाने के आदेश दिए जाते है।

1. **सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख, रिछबेग सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासीगण 3ओ तहसील श्रीकरणपुर का बहिस्सा बराबर हिस्सा :-**

   चक 3ओ की जमाबंदी संवत 2063 ता 66 के खाता सं0 23/23 के मु0 नं0 30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.197 है0 व मु0 नं0 62/12 के 0.126 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 6.323 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला।

2. **बलविन्द्र सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3ओ हाल फाजिल्का पंजाब का हिस्सा:-**

   चक 3ओ की जमाबंदी संवत 2063 ता 66 के खाता सं0 23/23 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.323 है0 नहरी भूमि।

3. पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मु0 नं0 29 में आने जाने के लिए मु0 नं0 30 के किला नं0 1,10,9,8,3,4,5 मे से 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। यह रास्ता मु0 नं0 29 के किला नं0 1 तक जायेगा।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे।

आज दिनांक 9.10.2017 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	504	00	योग	04	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक :- 9.10.2017

मुहर
क्रमांक :- राजस्व/17/790
प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner